

अहकाम
में जारी

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>27/1/25 17/1/25</p>	<p>पत्रावली पत्रा वकील पत्रा हुपण वदम हुनी गरी वाते कोरप 17/1/25 के पत्र को उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी पत्रावली पत्रा वकील / अधिनियम न्यायिक कार्य स्थानित पत्रा / P.O. 2 मोर्टिम / बलि / काकाश में पत्रावली वास्ते <u>कोरप</u> दिनांक <u>9/1/25</u> को पेश हो। <u>L</u></p>	
<p>9/1/25</p>	<p>पत्रावली पत्रा वकील / अधिनियम न्यायिक कार्य स्थानित पत्रा / P.O. 2 मोर्टिम / बलि / काकाश में पत्रावली वास्ते <u>कोरप</u> दिनांक <u>9/1/25</u> को पेश हो। <u>L</u></p>	
<p>2/2/26</p>	<p>पत्रावली पत्रा वकील व हाप कोरप पत्रा हुनी वकील पत्रा हुपण वास्ते कोरप 11/2/26 के पत्र को उपखण्ड अधि. रामगंजमण्डी</p>	
<p>11/2/26</p>	<p>वास्ते आदेश 23/3/26 को पेश हो <u>che</u></p>	
<p>23/3/26</p>	<p>पत्रा. पत्रा। प्रार्थी का कथन है कि विवादित खसरा श्रमि में उसका कब्जा उत्तरी भाग पर है तथा अप्रार्थी दक्षिणी भाग में स्थित है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हिस्से से हीकर प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुकम में
---------------	-----------------------------------	------------------------------

किया गया है।
 अप्रार्थी का कथन है कि भूमि
 शामिल है तथा उक्त मार्ग का
 पूर्व में उपयोग करती आ रही है,
 अतः उसे रोका नहीं जा सकता।
 अधिकारी का अवलोकन किया गया।
 विवादित भूमि शामिल है। कथित
 आपसी समझौता / राजीनामा राजस्व
 अधिकारियों में दर्ज नहीं है। मार्ग के
 कथन उपयोग के संबंध में दोनों
 पक्षों के कथन परस्पर विरोधी
 हैं, जिनका अंतिम निर्धारण आदेश के
 परीक्षण उपरांत ही संभव है।
 संयुक्त भूमि में सह्यातेदार को पूर्णतः
 वंचित करना विधि सम्मत नहीं है,
 वही किसी पक्ष के स्थापित
 कड़े में अनावश्यक हस्तक्षेप भी
 उचित नहीं है।
 प्रार्थी द्वारा मांगी गई पूर्ण निषेधाज्ञा
 इस स्तर पर प्रदान करना उचित
 नहीं है, अतः आवेदन ^{आधिकारिक रूप से} निरस्त किया
 जाता है। अप्रार्थी यदि उक्त
 मार्ग का उपयोग करती है, तो
 वह केवल आवश्यक आवागमन हेतु
 ही उपयोग करेगी तथा प्रार्थी के
 कड़े वाले भाग को शक्ति/विस्तारपूर्वक
 उपयोग नहीं करेगी।
 निर्णय आज दिनांक 23/3/26 को सुनाया
 गया।
 पत्रावली फॉसल सुमार होकर दक्षिण दफ्तर है।

Che
 23/3